प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.11.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन, 04 विछुये सफेद धातु,4000/- रू0 व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 07.11.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री अशोक कुमार पुत्र स्व श्री बुद्ध प्रकाश निवासी ए 4, कटोरी मिल मोहननगर साहिबाबाद द्वार लिखित तहरीर दी कि दिनांक 02.11.2024 को अज्ञात चोरों द्वार वादी के घर से 05 मोबाइल फोन सोने व चादी के आभूषण व 20,000/- रुपये चोरी कर लिये गये है।

तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वा रा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज, चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 08.11.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. शवलू उर्फ रहमत हसन पुत्र मसीउल्ला निवासी रजागंज कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत हाल पता चौराहा मोहननगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष, 2. पप्पू पुत्र छोटेलाल निवासी गांव सिवाय थाना कादरचौक जिला बदायूं हाल पता राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को राजीव कालोनी से नागद्वार की तरफ आने वाले रास्ते थाना साहिबाबाद पर चेकिंग (संदिग्ध व्यक्ति/वाहन) के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल फोन , 04 विछुये सफेद धातु, 4000/- रूपये व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों से बरामद 03 मोबाइल फोन, 04 विछुये सफेद धातु, 4000/- रूपयों को मोहननगर साहिबाबाद से एक घर में से चोरी किए थे तथा मोटर साइकिल को दिल्ली से चोरी किया गया था। ये दोनों अभियुक्त मिलकर मोटर साइकिल चोरी करना व फोन चोरी करने की घटना कारित करते है। ये दोनों अभियुक्त चोरी किये गये सामान को बेचने की फिराक में इधर उधर घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः

1. शवलू उर्फ रहमत हसन पुत्र मसीउल्ला निवासी रजागंज कस्बा व थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत हाल पता चौराहा मोहननगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।
2. पप्पू पुत्र छोटेलाल निवासी गांव सिवाय थाना कादरचौक जिला बदायूं हाल पता राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त शवलू उर्फ रहमत हसन व पप्पू पुत्र छोटेलाल के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी व एनडीपीएस एक्ट के 05 अभियोग व दिल्ली में चोरी का 01 पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन, 04 विछुये सफेद धातु, 4000/- रूपये व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 08.11.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीआरसी कट शहीद नगर थाना साहिबाबाद पर चेकिंग (संदिग्ध व्यक्ति/वाहन) के दौरान अभियुक्त सोहेल पुत्र समशाद निवासी एफ 127 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली-95 को एक अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः
सोहेल पुत्र समशाद निवासी एफ 127 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली -95 उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 23.10.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 18.10.2024 को अज्ञात चोर द्वारा मेरे घर से नगदी व जेवर चोरी कर ले जाना। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 08.11.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता सावित्री पत्नी ओमप्रकाश हाल निवासी फौजी चौक न्यू आनन्द विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी जस्तपुरा पाली भिण्ड मध्य प्रदेश को रायल गार्डन सीमेन्ट रोड थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह सामान जो मुझसे बरामद हुआ हैं यह सामान मैंने कुछ दिन पहले न्यू आनन्द विहार में एक हलवाई के मकान से चोरी किया था। मैं हलवाई के नये बन रहे मकान पर बेलदारी का काम करती हूँ तथा पास में ही हलवाई अपने किराये के मकान में रहता है। हलवाई के किराये के मकान पर मेरा आना जाना लगा रहता था। दिनांक 18.10.2024 को हलवाई के मकान पर कोई नहीं था तो मैंने मौका पाकर उसके घर से चोरी कर ली थी। आज मैं इस सामान को अपने मूल गांव लेकर जा रही थी कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम/ पता-

सावित्री पत्नी ओमप्रकाश हाल निवासी फौजी चौक न्यू आनन्द विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल निवासी जस्तपुरा पाली भिण्ड मध्य प्रदेश, उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 जोडी झाले पीली धातु
2. 01 जोडी झुमकी पीली धातु
3. 01 नथ पीली धातु
4. 07 अँगूठी पीली धातु
5. 04 नोज पिन पीली धातु
6. 01 जोडी झुमकी वाले कुण्डल पीली धातु
7. 01 जोडी पाजेब सफेद धातू
8. 01 कमर का गुच्छा सफेद धातु
9. 03 कमर कन्नौनी सफेद धातु
10. 03 जोडी बिछुआ सफेद धातु
11. 01 नारियल सफेद धातु
12. 03 सुपारी सफेद धातु
13. 01 दीपक सफेद धातु

14. कुल 3,70,000-/ रुपये (तीन लाख सत्तर हजार रुपये) नगद बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त चोरी की घटना व बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।